



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार

संख्या:- 44/01/गोपन-02/प्रवक्ता(सामान्य एवं महिला शाखा)-18/2019-20

दिनांक: 11 जून, 2019

अनुपूरक परीक्षा परिणाम

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह 'ग') सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) परीक्षा-2018 के प्रथम चरण की स्त्रीनिंग परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक: 11 फरवरी, 2019 के सापेक्ष विषय संस्कृत (सामान्य शाखा) हेतु अनुपूरक परीक्षा परिणाम में निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा हेतु औपबन्धिक रूप से सफल किया गया है :—

प्रवक्ता (सामान्य शाखा)

1. संस्कृत (विषय कोड -53)

851794	853148
--------	--------

नोट:- 1. उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थाई निवास, लम्बवत्/क्षैतिज आरक्षण आदि के आधार पर घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना अवशेष है। यदि दावों एवम् अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा दावों की पुष्टि अभिलेखों से नहीं होती है अथवा अभिलेख असत्य पाये जाते हैं, तो अभ्यर्थी को मात्र आयोग द्वारा साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

2. परीक्षा परिणाम मात्र उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में लम्बित निम्न याचिकाओं में पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन घोषित किया गया है :—

- रिट याचिका सं0 3542/2018(एस0एस) कैलाश सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।
- रिट याचिका सं0 3267/2018(एस0एस) डॉ० दिनेश चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।

3. कट ऑफ मार्क्स के सम्बन्ध में सूचना आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

4. स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावों के समर्थन में अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ एवं साक्षात्कार हेतु प्रपत्र, साक्षात्कार की तिथि को ससमय आयोग कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव/अपर निजी सचिव, मा० अध्यक्ष/मा० सदस्यगण को मा० अध्यक्ष/मा० सदस्यगण के अवलोकनार्थ।
2. अपर सचिव विधि/परीक्षा नियंत्रक/संयुक्त सचिव/वित्त नियंत्रक/उप सचिव/समस्त अनुसचिव।
3. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी अनुभाग अधिकारी डाक-डिस्पैच/सेवा अनुभाग-१/परीक्षा अनुभाग-३ को सूचनार्थ।
4. व्यवस्थाधिकारी को चयन परिणाम आयोग के नोटिस बोर्ड पर चर्चा करवाये जाने हेतु।
5. प्रभारी आई०टी० सेल को इस आशय से प्रेषित की चयन परिणाम सूचना अभ्यर्थियों को एस०एम०एस० माध्यम से प्रदान करने एवं परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

सचिव।